

// प्रणाम //

- शुक्रतीर्थ स्थित श्री शुक्रदेव आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा, सुबह 9 बजे।
- झरिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार भवन में श्रीराम कथा, सुबह 9 बजे।
- गांधी कालोनी पंजाबी वरातघर में श्रीमद्भागवत कथा भवित सप्ताह, सायं 4 बजे।
- नई मंडी श्री गालाजी धाम मंदिर में आरती, शाम छह बजे।
- नई मंडी श्री गणपति खाटू श्याम मंदिर में आरती, शाम छह बजे।
- शुक्रतीर्थ स्थित गंगा घाट पर मां गंगा की आरती, शाम 6:30 बजे।

मुजफ्फरनगर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए स्कैन करें।



मंसूरपुर स्टेशन पर कार्यकर्ताओं संग आंदोलन की तैयार करते भाकियू तोमर के अध्यक्ष संजीव तोमर ● जागरण

भाकियू तोमर मंगलवार को चार जगह रेल रोकेगी

संवाद सूत्र, जागरण ● मंसूरपुर ● भारतीय किसान यूनियन (तोमर) 16 जून को रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है।

रिविहार को भाकियू (तोमर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ मंसूरपुर रेलवे स्टेशन का मौका मुआयना किया और रणनीति तैयार की। उन्होंने बताया कि जनपद में चार जगह रेलवे ट्रैक पर पंचायत होगी। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ने किसानों के हक की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। 16 जून को होने वाले आंदोलन के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में चार अलग-अलग स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर ही महापंचायत की जाएगी और ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी, अजय तोमर, हीरा बल्लियान, मुकेश गुर्जर आदि मौजूद रहे।



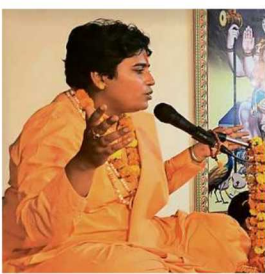
मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित श्री श्यामा श्याम मंदिर में चल रही कथा में मौजूद श्रद्धालु ● सौ. श्रद्धालु

श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु हुए भाव-विभोर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: श्री श्यामाश्याम मंदिर में चल रही कथा का रविवार को समापन हुआ। कृष्णप्रिया तुलसी ने सुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता को निस्वार्थ प्रेम, समानता और सम्पर्ण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मित्रता में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।

कथा वाचक ने बताया कि बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार वे जंगल में लकड़ी लेने गए, जहां गुप्तमाता ने उन्हें खाने के लिए चने दिए, जिन्हें सुदामा ने अकेले ही खा लिया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने-अपने घर लौट गए। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जो ईश्वर की भक्ति करके पांच घरों से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे।

एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें श्रीकृष्ण के पास जाकर मदद मांगने के लिए कहा। सुदामा द्वारका चले गए। जाते समय सुशीला ने उन्हें मित्र को भेंट देने के लिए एक पोटीली चावल दी। फटेहाल सुदामा को देखकर, कोई उन्हें द्वारका के महलों में जाने नहीं दे रहा था। सुदामा ने कहा कि वे श्रीकृष्ण के मित्र हैं।



मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित श्री श्यामा श्याम मंदिर में कथा सुनती कृष्णप्रिया तुलसी न सौ. श्रद्धालु

जब द्वारपाल ने यह बात श्री कृष्ण को बताई, तो उन्होंने नगे पर दौड़कर सुदामा का स्वागत किया। श्री कृष्ण ने मित्र को गले लगाया और सिंहासन पर बैठाया। जब उन्होंने दो मुट्ठी चावल खाए, तो रुक्मिणी ने कहा कि आपने अपने मित्र को दो लोक का राज्य दे दिया है। इस दौरान प्रीति शर्मा, कौशल्या शर्मा, राकेश रोहिला, ललित अग्रवाल, हरीश गोयल, पूनम चौहान सरोज, सुधीर चौधरी, आकाश चौधरी और सतीश शर्मा मौजूद रहे।



बरला क्षेत्र में आरोग्य मेले का निरीक्षण कर ओपीडी करते सीएमओ डा. सुनील कुमार तेलविया ● सौ. विष्णु

आरोग्य मेला में ढाई हजार रोगियों का इलाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में लगभग ढाई हजार रोगियों का उपचार किया गया। मौसम में हो रहे उताव-चढ़ाव का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बुखार, जुकाम और त्वचा रोग से पीड़ित रोगी बड़ी संख्या में पहुंचे, जिनका उपचार कर दवाइयां वितरित की गईं।

सीएमओ ने मेलों का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों को रोगियों के साथ मनुल व्यवहार करने के निर्देश दिए।

रविवार को जनपद के सभी सीएचसी, पीएचसी और उपकेंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया। सीएमओ डा. सुनील कुमार तेलविया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुकाजी, नेजलहड़ा, छपार, बरला और नगरीय

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरी का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सीय सुविधाओं, दवा वितरण, जांच व्यवस्था, साफ-सफाई और अभिलेखों का अवलोकन किया।

आरोग्य मेलों में बुखार, जुकाम और अन्य रोगों से पीड़ित रोगियों का उपचार किया गया। फिखले एक सप्ताह से मौसम में उताव-चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, जिससे बच्चों की भी घट रोग, बुखार और खांसी का सामना करना पड़ रहा है। आरोग्य मेलों में 401 बच्चों को दवाइयां वितरित की गईं। सीएमओ ने बताया कि आरोग्य मेलों में कुल 2500 लोगों को उपचार प्रदान किया गया, जिनमें 801 पुरुष, 769 महिलाएँ और 423 त्वचा रोग से जुड़े रोगी शामिल हैं।

मुजफ्फरनगर जागरण

अंकित हत्याकांड का आरोपित गिरफ्तार उधार के पैसे नहीं देने को लेकर पीट-पीटकर कर दी थी हत्या



बुढ़ाना क्षेत्र में मुठभेड़ में घायल बदमाश को ले जाती पुलिस ● जागरण

पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि अंकित को उसने अपने कड़े से पीटा था। अंकित से उसकी पुरानी रंजिश थी।

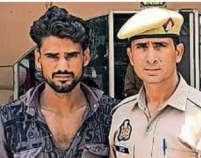
गौरतलब है कि 12 जून की दोपहर ब्रह्मसिंह, अंकित को शराब पिलाने के बहाने ठेके पर ले गया था। वहां उसके भाई अरुण व

हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

हत्या के दूसरे मामले में जमानत पर था आरोपित: कुरुथल के अंकित उर्फ भूरा की हत्या के आरोपित ब्रह्मसिंह पर पहले से ही जानलेवा हमले, हत्या और आमस एकट समेत कई मुकदमों दर्ज हैं। गांव कुरुथल में 2012 में सनू की हत्या में ब्रह्मसिंह जेल जा चुका है। जिसमें न्यायालय से उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। 2022 में वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर जमानत पर था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में लगी चोट से मृत्यु: अंकित उर्फ भूरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर व आंखों के पास करीब पांच चोट मिली है।

इंस्पेक्टर सुभाष अग्रो ने बताया कि अंकित उर्फ भूरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर व आंखों के पास चोटों के निशान मिले, इन चोट से ही उसकी मृत्यु हुई है।



मीरापुर थाने में पुलिस हिरासत में आरोपित गुलफाम ● सौ. पुलिस मीडिया डैश

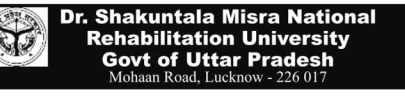
किशोरी को भगा ले जाने वाला मुरितम युवक गिरफ्तार

मीरापुर: क्षेत्र के एक गांव में अपनी बुआ के घर आई हुई एक किशोरी को दो दिन पूर्व मेरठ के सरधना निवासी गुलफाम पुत्र इड्डू बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने शनिवार को किशोरी को ब्रामद करने के बाद आरोपित को भी घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि मामला दो समुदाय का होने के चलते गांव में तनाव व्याप्त है।-संस्।

बजरंग दल को गाली देने वाला आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र जागरण ● शाहपुर: थाना क्षेत्र के गांव पलड़ी निवासी द्वारा बजरंग दल को गंदी-गंदी गालियां देने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुर थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह ने बताया कि

इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति हिंदू संगठन का नाम लेकर गालियां दे रहा था। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपित की पहचान गांव पलड़ी निवासी आकिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद आरोपित माफी मांगता हुआ नजर आया। कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा।



आरोपित आकिल ● के बाद पुलिस ने

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University
Govt of Uttar Pradesh
Mohaan Road, Lucknow - 226 017

Advt No.-63/2026-27Date :13.06.2026

Recruitment Notice
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (Govt of Uttar Pradesh) invites applications for the faculty positions at the level of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in BASL&P&D BPO.
The details w.r.t. various post(s), eligibility criteria, online and general instructions are available on <http://dsnrup.up.nic.in>. Online application portal shall remain open from 16.06.2026 to 15.07.2026. Applicants are required to apply through the SAMARTH portal only. The link for the Samarth Portal is provided on the University website under the "Recruitment" tab.

Registrar

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

<

पंजाब नैशनल बैंक
..... भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
... the name you can BANK upon !

ई-नीलामी बिक्री सूचना									
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकर्ण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सामान्य जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ता (ऋणियों) और गारंटीकर्ता (गारंटर्स) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकमक कब्जा बैंक / सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ता (ऋणियों) बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।									
सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची									
क्र. सं.	शाखा का नाम			बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम (संपत्तियों के बंधककर्ता)	संरक्षे की अधिनियम 2002 की मांग सूचना 13(2) की तिथि	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि और समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋण का विवरण	
	खाते का नाम				कब्जे की तिथि	ईएमडी			
	उधारकर्ता / गारंटर का नाम				कब्जे की प्रकृति	बोली वृद्धि राशि			
					प्रतीकमक / भौतिक / रचनात्मक				
1.	बी.ओ. शाहपुर	1. असलम खान पुत्र मो. यामीन खान	आवासीय प्लॉट (अब मकान) स्थित खसरा संख्या 1458, बुढ़ाना बहार हद्द, शफीपुर पट्टी, बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर जिसका क्षेत्रफल 91 वर्ग मीटर है। यह प्लॉट 28.06.2016 को असलम खान पुत्र यामीन खान के नाम पर सेल डीज संख्या 5023 के तहत पंजीकृत किया गया था। इस संपत्ति की सीमाएं निम्नलिखित हैं:- पूर्व- मिस्कीन (पत्नी शौकीन) का प्लॉट, पश्चिम- नीलम शर्मा का प्लॉट, उत्तर- शौकीन का प्लॉट, दक्षिण- 25 फीट चौड़ा रास्ता।	17.09.2024 रु. 16,15,836.07 और 01.05.2026 से संचिदात्मक दर पर आगे का व्याज और DI + अन्य शुल्क 12.12.2024 रचनात्मक	रु. 22.00 लाख रु. 2.20 लाख रु. 22,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
2.	बी.ओ. सिविल लाइन्स (068910)	1. श्रीमती कमरजहाँ पत्नी ओशफ उधारकर्ता 2. श्री अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद ओहसाफ सह-उधारकर्ता	एक आवासीय प्लॉट जो श्रीमती कमर जहाँ के नाम पर जिसका मुख पूर्व और उत्तर दिशा की ओर है। इसका क्षेत्रफल 58.08 वर्ग मीटर है और यह खसरा संख्या 668 और 670 के अंतर्गत आता है। यह प्लॉट मोहल्ला सुभाष नगर, ग्राम सरवट बहार हद्द, राजवाहा रोड के पास, मुजफ्फरनगर में स्थित है। यह संपत्ति सेल डीज संख्या 1673, दिनांक 08.02.2023 के तहत पंजीकृत है। संपत्ति की सीमाएं निम्नलिखित हैं: पूर्व: 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: नौशाद का प्लॉट, उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: हनीफ का प्लॉट।	21.07.2025 रु. 8,44,134.89 और 30.04.2026 से संचिदात्मक दर पर आगे का व्याज और DI + अन्य शुल्क 07.10.2025 रचनात्मक	रु. 14.00 लाख रु. 1.40 लाख रु. 14,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
3.	बी.ओ. कोर्ट रोड	1. प्रभात कुमार पुत्र सूरजमान (उधारकर्ता) 2. दीपा पत्नी प्रभात कुमार (सह-उधारकर्ता) 3. मुकेश कुमार पुत्र सूरजमान (गारंटर)	एक आवासीय मकान जो श्रीमती दीपा पत्नी श्री प्रभात कुमार और श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री सूरज मान के नाम पर, जिसका क्षेत्रफल 83.88 वर्ग मीटर है। यह मकान मोहल्ला रामपुर सेक्टर-2, ग्राम शाहबुदीनपुर, परगना, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है। यह संपत्ति उप-पंचायक कार्यालय, मुजफ्फरनगर में सेल डीज संख्या 8921, दिनांक 01.11.2017 के तहत पंजीकृत है बही 1, खंड संख्या 7339, पृष्ठ संख्या 377-414 है। संपत्ति की सीमाएं निम्न हैं: पूर्व: जनेश्वर का मकान, पश्चिम: 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: श्रीमती पवन और श्रीमती अनीता का मकान, दक्षिण: सुखपाल और अन्य का मकान।	02.12.2022 रु. 19,97,818.24 और 30.04.2026 से आगे का व्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 10.03.2023 रचनात्मक	रु. 16.00 लाख रु. 1.60 लाख रु. 16,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
4.	बी.ओ. एमएमजी शामली (182200)	1 श्री विनोद कुमार पुत्र स्व. विजय पाल (उधारकर्ता / बंधककर्ता) 2 श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. विनोद कुमार (सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता)	आवासीय प्लॉट (अब मकान) क्षेत्रफल 83.47 वर्ग मीटर जो श्री विनोद कुमार पुत्र श्री विजय पाल और श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम पर, जो खसरा संख्या 63M, ग्राम तांजपुर सिंभालका, परगना व तहसील शामली, जिला शामली में स्थित है। सीमाएं:- पूर्व: 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: खेत मेजर, उत्तर: अन्य लोगों का प्लॉट, दक्षिण: सुनील कुमार का प्लॉट।	21.05.2021 रु. 10,66,230.00 और 30.04.2026 से आगे का व्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 04.12.2021 रचनात्मक	रु. 24.00 लाख रु. 2.40 लाख रु. 24,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
5.	बी.ओ. हनुमान रोड शामली	1. श्रीमती दिलशाद पत्नी मोहम्मद इनाम (उधारकर्ता / बंधककर्ता) 2. श्री इरफान पुत्र मोहम्मद इनाम (सह-उधारकर्ता)	आवासीय घर जिसका क्षेत्रफल 38.58 वर्ग मीटर स्थित मोहल्ला घेर बुखारी, शामली जो श्रीमती दिलशाद पत्नी मोहम्मद इनाम के नाम पर जो टाइलड डीज नंबर 8759 दिनांक 07 / 10 / 2009 के तहत रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: रशीद पुत्र भी बांदा का घर, पश्चिम: 7 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: 7 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: नसीर पुत्र भी बशीर के घर के साथ साझा दीवार।	30.12.2024 प्रकाशित 19.02.2025 रु. 15,29,491.00 दिनांक 01.06.2026 से आगे का व्याज व और अन्य शुल्क 29.04.2025 रचनात्मक	रु. 9.00 लाख रु. 0.90 लाख रु. 9,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
6.	बी.ओ. एमएमजी शामली (182200)	1. श्री नसीम अहमद पुत्र स्व. सैदुल्ला (उधारकर्ता / बंधककर्ता) 2. श्री सलीम पुत्र स्व. सैदुल्ला (गारंटर) 3. श्री शिवकी पुत्र स्व. हेमराज (गारंटर) 4. श्री राजेंद्र पारवा पुत्र स्व. सुरेंद्र परवा (गारंटर)	आवासीय प्लॉट (अब घर) पूर्व मुखी जो श्री नसीम पुत्र श्री सैदुल्ला के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 62.77 वर्ग मीटर है और जो खसरा नंबर 2451, मोहल्ला हरेंद्र नगर आवासीय, शामली परगना, तहसील और जिला शामली में स्थित है, यह सब-रजिस्ट्रार शामली के कार्यालय में सेल डीज नंबर 11150 दिनांक 30.09.2016 के तहत रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 5 मीटर से कम चौड़ा रास्ता, पश्चिम: नामदेव धर्मशाला की प्रॉपर्टी, उत्तर: प्रमेश चंद के वारिसों का घर, दक्षिण: विक्रता की प्रॉपर्टी।	17.09.2024 प्रकाशित 19.12.2024 रु. 6,03,918.05 और 31.05.2026 से आगे का व्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क NPA की दिनांक से 29.04.2025 रचनात्मक	रु. 21.00 लाख रु. 2.10 लाख रु. 21,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
7.	बी.ओ. विकास भवन (684800)	1. श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री राज सिंह शर्मा (उधारकर्ता / बंधककर्ता) 2. श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी श्री प्रवीण शर्मा (सह-उधारकर्ता) 3. श्री राज सिंह शर्मा पुत्र स्व. श्री खजान सिंह (गारंटर)	द्वितीय तल आवासीय मकान जो श्री प्रवीण शर्मा व श्रीमती अनुराधा शर्मा के नाम पर खसरा सं. 2799 व 3139 में दक्षिण कृष्णापुरी (पुराना मकान सं. 586), मंच 208 / 11 / 30 / 60 मुजफ्फरनगर में 93.632 वर्ग मीटर भाप के अनुसार बही सं. 1 जिल्द सं. 5619 पृष्ठ सं. 39-72 एसआई सं. 2732 दिनांक 06.03.2014 को सब रजिस्ट्रार द्वितीय, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पंजीकृत। प्रॉपर्टी की सीमा नीचे दी गई है: पूर्व: जितेंद्र का घर, पश्चिम: रास्ता 15फीट चौड़ा, उत्तर: सोनम वाले का घर, दक्षिण: रघुनंदन का घर।	01.08.2025 रु. 9,87,102.71 + 31.05.2026 से आगे का व्याज + DI और अन्य शुल्क 12.02.2026 रचनात्मक	रु. 21.50 लाख रु. 2.15 लाख रु. 21,500 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		
8.	बी.ओ. नई मंडी ई-ओबीसी (004810)	1. श्रीमती विमलेश शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रमोद शर्मा (उधारकर्ता / बंधककर्ता) सह-उधारकर्ता स्व. श्री प्रमोद शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी) 2. श्री तपन गौतम पुत्र स्व. श्री प्रमोद शर्मा (सह-उधारकर्ता) स्व. श्री प्रमोद शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी) 3. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवत (गारंटर)	आवासीय प्लॉट (अब घर) श्रीमती विमलेश शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री प्रमोद शर्मा के नाम, जिसका एरिया 83.60 वर्ग मी. है, प्लॉट नंबर 88ए के हिस्से, मोहल्ला बरंदा बिहार (रकबा ग्राम सरवट), परगना, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में है, जो 19.07.2010 को सेल डीज नंबर 8620 के अनुसार रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की बाउंड्री नीचे दी गई है: पूर्व: पहली पार्टी (श्री हुकम चंद व श्रीमती लीला रानी) का प्लॉट, पश्चिम: श्री अनिल वर्मा का घर, उत्तर: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: श्री अजय शर्मा वगैरह का घर	02.08.2025 रु. 1,81,092.06 + 31.05.2026 से आगे का व्याज के साथ कॉन्स्ट्रक्ट रेट और DI + अन्य शुल्क 22.01.2026 रचनात्मक	रु. 32.00 लाख रु. 3.20 लाख रु. 32,000 /-	30.06.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नहीं		

यह बिक्री सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एनफोर्समेंट) रुल्स 2002 में बताए गए नियमों और शर्तों और इन अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। 1. प्रॉपर्टीज "जैसी है जहाँ है आधार पर" और "जैसी है जो है आधार पर" और "जो कुछ भी है आधार पर" बेची जा रही है। 2. ऊपर दी गई अनुसूची में बताई गई सिक्वोरिटी एसेट्स की जानकारी ऑथराइज्ड ऑफिसर की जानकारी और अनुसार सबसे अच्छी है, लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 3. बिक्री मेरे द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त दिनांक को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbIndia.in देखें। या नोडल ऑफिसर श्री दीलत राम मीना, सचिव ऑफिस, मुजफ्फरनगर के ऑथराइज्ड ऑफिसर से संपर्क करें, मोबाइल: 8954040505, संपर्क अधिकारी लघु ध्यान दें कि यह प्रकाशन कर्जदारों / गिरवी रखने वालों / गारंटी देने वालों के लिए एक वैधानिक 15 / 30 दिन की बिक्री सूचना भी है।

संरक्षे की एक्ट, 2002 के नियम 9(1) और 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक: 14.06.2026

स्थान: मुजफ्फरनगर / शामली

अधिकृत अधिकारी (पंजाब नैशनल बैंक)

